प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

प्रथम अपील (विविध) क्र० 115/2008

अपीलार्थी विनोद कुमार बगडे

बनाम

उत्तरवादी श्रीमती कामिनी उर्फ़ विनीता बगडे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचार हेतु निर्णय

सही/-

सतीश के० अग्निहोत्री,

न्यायाधीश

माननीय न्यायाधीश श्री राजेश्वर लाल झनवार

मैं सहमत हूं। (सही/-)

आर०एल० झनवार,

न्यायाधीश

निर्णय पारित करने हेतु दिनांक 01 फरवरी 2010 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

प्रथम अपील (विविध) क्र० 115/2008

अपीलार्थी विनोद कुमार बगडे

बनाम

उत्तरवादी श्रीमती कामिनी उर्फ़ विनीता बगडे

युगल पीठ: माननीय श्री सतीश के० अग्निहोत्री एवं

माननीय श्री राजेश्वर लाल झनवार, न्यायमूर्तिगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित -

अपीलार्थी हेतु - श्री सी०आर० साहू, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु - कोई नहीं।

निर्णय

(दिनांक 01 फरवरी 2010 को पारित)

माननीय न्यायाधीश श्री सतीश के० अग्निहोत्री द्वारा –

1. यह अपील आदेश दिनांक 04.07.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत कि गयी है, जो कि कुटुंब न्यायालय, दुर्ग के प्रधान न्यायाधीश द्वारा एम०जे०सी० सिविल क्र० 74/2006 में पारित किया गया था, जिसके द्वारा अपीलार्थी/आवेदक द्वारा संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 25 तथा हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अधीन, अप्राप्तवय पुत्र विवेक उर्फ योशित बागड़े की अभिरक्षा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2. संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (संक्षेप में "अधिनियम, 1890") की धारा 25 इस प्रकार है -

> "25. **प्रतिपाल्य की अभिरक्षा का संरक्षक का हक** :- (1) यदि प्रतिपाल्य अपने शरीर के संरक्षक की अभिरक्षा को छोड़ देता है या उससे हटा दिया जाता है, तो, यदि न्यायालय इस राय का है कि प्रतिपाल्य के लिए यह कल्याणकर होगा कि वह संरक्षक की अभिरक्षा में लौट आए, तो वह उसके लौट आने के लिए आदेश कर सकेगा और उस आदेश का प्रवर्तन कराने के प्रयोजन से प्रतिपाल्य को गिरफ्तार करा सकेगा और संरक्षक की अभिरक्षा में रखे जाने के लिए उसे परिदत्त करा सकेगा।

(2) प्रतिपाल्य की गिरफ्तारी के प्रयोजन से न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता, 1882 (1882 का 10) की धारा 100 द्वारा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर सकेगा।

(3) ऐसे व्यक्ति के पास, जो उसका संरक्षक नहीं है, प्रतिपाल्य का अपने संरक्षक की इच्छा के विरुद्ध निवास, स्वतः संरक्षकता का पर्यवसान नहीं कर देता।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 (संक्षेप में "अधिनियम, 1956") की धारा 6 इस प्रकार है –

"**6. हिन्दू अप्राप्तवय के नैसर्गिक संरक्षक**- हिन्दू अप्राप्तवय के नैसर्गिक संरक्षक अप्राप्तवय के शरीर के बारे में और (अविभक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति में उसके अविभक्त हित को छोड़कर) उसकी सम्पत्ति के बारे में भी, निम्नलिखित हैं :-

(क) किसी लड़के या अविवाहिता लड़की की दशा में पिता और उसके पश्चात् माताः परन्तु जिस अप्राप्तवय ने पांच वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो उसकी अभिरक्षा मामूली तौर पर माता के हाथ में होगी;

(ख) अधर्मज लड़के या अधर्मज अविवाहिता लड़की की दशा में माता और उसके पश्चात् पिता ;

(ग) विवाहिता लड़की की दशा में पति :

परन्तु कोई भी व्यक्ति यदि-

(क) वह हिन्दू नहीं रह गया है; या

(ख) वह वानप्रस्थ या यति या सन्यासी होकर संसार को पूर्णतः और अन्तिम रूप से त्याग चुका है, तो इस धारा के उपबन्धों के अधीन अप्राप्तवय के नौसर्गिक संरक्षक के रूप में कार्य करने का हकदार न होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्पष्टीकरण- इस धारा में "पिता" और "माता" पदों के अन्तर्गत सौतेला पिता और सौतेली माता नहीं आते।"

4. अविवादित तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी तथा उत्तरवादी का विवाह दिनांक 05.01.1997 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था। दिनांक 25.10.1998 को वैवाहिक संबंध से एक पुत्र विवेक उर्फ योशित

का जन्म हुआ था। अपीलार्थी एवं उत्तरवादी अलग-अलग रह कर रहे हैं तथा उक्त पुत्र अपनी माता/उत्तरवादी के साथ रह रहा है।

5. विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/आवेदक का कथन यह था कि वह भूवैज्ञानिक एवं खनन विभाग में उप-निदेशक के पद पर कार्यरत है। विवाह के उपरांत उत्तरवादी/पत्नी दिनांक 17.01.2005 तक अपीलार्थी/पति के साथ निवास करती रही। उत्तरवादी शांत एवं स्थिर मस्तिष्क वाली महिला नहीं है। समय-समय पर उसे मानसिक विकार हो जाता है। इसी क्रम में दिनांक 29.03.1993 को उत्तरवादी द्वारा कोई विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया गया था। फलस्वरूप, भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के अंतर्गत उत्तरवादी के विरुद्ध एक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जिसमें अपराध स्वीकार करने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल के न्यायालय द्वारा ₹400/- का अर्थदंड अधिरोपित किया गया था। तत्पश्चात उत्तरवादी अपने पैतृक निवास चली गई और अपीलार्थी की सहमति के बिना गर्भपात करवा लिया। उत्तरवादी अपने पुत्र विवेक उर्फ योशित की देखभाल में गहरी रुचि नहीं लेती है। वर्ष 2004 में अपीलार्थी का स्थानांतरण इंदौर होने के कारण उसने उत्तरवादी एवं उनके पुत्र विवेक उर्फ योशित को भोपाल स्थित अपने बड़े भाई के घर पर रखा था। उस समय उत्तरवादी के असामान्य व्यवहार के कारण

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अपीलार्थी के बड़े भाई की पत्नी द्वारा दिनांक 20.01.2005 को पुलिस थाना बागवानिया, भोपाल में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उक्त घटना से आक्रोशित होकर उत्तरवादी द्वारा प्रतिशोधवश अपीलार्थी, उसके बड़े भाई तथा बड़े भाई की पत्नी के विरुद्ध धारा 498-क, भारतीय दंड संहिता के अधीन पुलिस थाना में एक झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके उपरांत, उत्तरवादी अपने पुत्र विवेक उर्फ योशित को जबरन साथ लेकर अपने पैतृक निवास चली गई। अपीलार्थी द्वारा विभिन्न माध्यमों से उत्तरवादी से संपर्क करने तथा उसे भोपाल आने या अपने पुत्र विवेक उर्फ योशित को भेजने हेतु अनुरोध किया गया किंतु दिनांक 21.01.2005 से उत्तरवादी अपने पुत्र विवेक उर्फ योशित सहित अपनी इच्छा से दुर्ग में निवास कर रही है। उत्तरवादी अपीलार्थी को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देती है, इसी कारण अपीलार्थी दुर्ग जाकर अपने पुत्र विवेक उर्फ योशित से मिलने-जुलने की स्थिति में नहीं है। अपीलार्थी एक सुशिक्षित एवं उत्तरदायी शासकीय अधिकारी है। पिता होने के नाते वह विवेक उर्फ योशित का स्वाभाविक अभिभावक है तथा वह उसकी संपूर्ण देखभाल करने में पूर्णतः सक्षम है। अतः विवेक उर्फ योशित की अभिरक्षा अपीलार्थी को सुपुर्द किए जाने की प्रार्थना की गई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. इसके विपरीत, उत्तरवादी/पत्नी ने अपीलार्थी द्वारा लगाए गए आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन किया है। उत्तरवादी द्वारा भरण–पोषण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपीलार्थी ने नोटिस लेने से मना किया है। अंततः समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से नोटिस की तामील की गई। इसके उपरांत भी जब अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ तो दिनांक 27.08.2005 को पारित एकपक्षीय आदेश द्वारा अपीलार्थी को उसकी पत्नी/उत्तरवादी को ₹2500/- तथा पुत्र विवेक उर्फ योशित को ₹2000/- (कुल ₹4500/-) भरण–पोषण हेतु अदा करने का निर्देश दिया गया है। भरण–पोषण की राशि अदा करने के आदेश का पालन करने के बजाये अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.08.2005 के आदेश को चुनौती देते हुए प्रकरण दायर किया है। इस प्रकार अपीलार्थी अपनी पत्नी एवं पुत्र के भरण–पोषण के प्रति लापरवाह है। उत्तरवादी अपने पुत्र विवेक उर्फ योशित के हितों की पूर्ण देखभाल कर रही है। शिक्षा के अवसर दुर्ग एवं भिलाई में भोपाल की अपेक्षा अधिक उत्तम हैं। चूँकि अपीलार्थी का पद स्थानांतरणीय है, इसलिए यदि विवेक उर्फ योशित की अभिरक्षा अपीलार्थी को दी जाती है तो उसकी पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अपीलार्थी का अधिकांश समय शासकीय दायित्वों के निर्वहन में व्यतीत हो जाता है, अतः वह किसी भी प्रकार से विवेक उर्फ योशित की देखभाल नहीं कर सकता। विवेक उर्फ योशित की आयु लगभग 8 वर्ष है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उसकी व्यक्तिगत देखभाल एवं अध्ययन की व्यवस्था अपीलार्थी/पिता की अपेक्षा उसके माता/उत्तरवादी द्वारा अधिक सुचारु रूप से की जा सकती है। अपीलार्थी तथा उसके परिजनों का व्यवहार उत्तरवादी एवं विवेक उर्फ योशित के प्रति उचित नहीं है। उत्तरवादी द्वारा किसी प्रकार भोपाल से दुर्ग भागकर अपनी जान बचाई है। उसका पुत्र विवेक उर्फ योशित ने द्वितीय कक्षा में 93 प्रतिशत अंक प्राप्त किया है तथा वर्तमान में वह भिलाई स्थित एक प्रतिष्ठित विद्यालय में तृतीय कक्षा में अध्ययनरत है। अपीलार्थी का स्वभाव क्रूरता एवं झगड़ालूपन का परिचायक है। दिनांक 18.09.2006 को कुटुंब न्यायालय में सुनवाई के अवसर पर, जब अपीलार्थी दुर्ग आया, तो उसने उत्तरवादी के भाई के साथ मारपीट करने का प्रयास किया तथा न्यायालय परिसर में ही उसके साथ गाली-गलौज करने लगा। उत्तरवादी की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति स्वस्थ है। जब अपीलार्थी के वेतन से भरण–पोषण की राशि की कटौती प्रारम्भ हुई, तब दुर्भावनावश अपीलार्थी द्वारा उत्तरवादी को प्रताड़ित करने मात्र के उद्देश्य से विवेक उर्फ योशित की अभिरक्षा प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. अपीलार्थी का आवेदन प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दुर्ग द्वारा एम.जे.सी. (सिविल) क्रमांक 74/2006 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक

04.07.2008 द्वारा खारिज कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में विवेक उर्फ योशित न तो आवश्यक पक्षकार था और न ही उचित पक्षकार। अपीलार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहा कि उसका पुत्र विवेक उर्फ योशित का भविष्य उत्तरवादी की अपेक्षा अपीलार्थी के संरक्षण में अधिक हितकर होगा। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी यह भी सिद्ध करने में असफल रहा कि उत्तरवादी मानसिक विकार से पीड़ित है। पुत्र विवेक उर्फ योशित का कल्याण एवं भविष्य उसकी माता/उत्तरवादी के संरक्षण में अपीलार्थी की अपेक्षा अधिक हितकारी होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता के तर्कों को सुना, अभिलेखों का अवलोकन किया, आक्षेपित निर्णय एवं आदेश तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल अभिलेखों का भी परीक्षण किया। आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि विद्वान न्यायाधीश द्वारा विवेक को सुना गया था तथा उसने अपने माता/उत्तरवादी के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की थी। आगे, यह भी स्पष्ट है कि उभय पक्षकार द्वारा परस्पर प्रकरण और प्रति-प्रकरण दायर किए गए थे, जिससे यह तथ्य सिद्ध होता है कि पति-पत्नी के मध्य के संबंध तनावपूर्ण हैं। अपीलार्थी द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया

गया है कि उत्तरवादी/पत्नी ने पति एवं उसके पारिवारिक सदस्यों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी, किन्तु यह प्रतीत होता है कि उक्त शिकायत, अपीलार्थी के बड़े भाई की पत्नी द्वारा भोपाल स्थित थाने में उत्तरवादी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराए जाने के उपरांत प्रतिशोध स्वरूप दर्ज कराई गई थी।

9. उभय पक्षकार के संबंधों के गुण-दोष में टिप्पणी किए बिना यह कहना आवश्यक है कि ऐसे प्रकरणों में सर्वप्रथम एवं प्रमुख विचारणीय तत्व बालक का कल्याण है, जैसा कि अधिनियम, 1890 की धारा 25 के प्रावधानों से भी स्पष्ट है। यह सत्य है कि पिता प्राकृतिक संरक्षक के रूप में प्रथम अभिभावक होता है, परन्तु यदि बालक का कल्याण पिता के संरक्षण में उचित रूप से नहीं हो रहा हो, तो बालक का संरक्षकता माता को सौंपा जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अपीलार्थी (अ०सा० 1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि विनीता/उत्तरवादी बालक की शिक्षा का ध्यान अन्य बच्चों के साथ रख रही थी (कंडिका 26)। तत्पश्चात उसने यह कथन किया है कि वह ध्यान नहीं रखती थी किन्तु ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया कि कभी भी बालक की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो। अपीलार्थी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में आगे

यह भी स्वीकार किया गया है कि जब उसका पुत्र अपनी माता के साथ रहता था, तब उसे सदैव 95 से 98 प्रतिशत अंक प्राप्त होते थे, जबकि जब वह अपीलार्थी के साथ रहता था, तब वह सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता था।

11. थॉमस डिकोना (अ०सा० 2), जो अपीलार्थी का पड़ोसी है, ने अपने कथन में बालक के कल्याण के संबंध में कुछ भी नहीं कहा है एवं केवल इतना कहा कि उसने कभी-कभी परिवार में झगड़े होते देखा है। अशोक कुमार डोगरे (अ०सा० 3), जो अपीलार्थी का सहकर्मी एवं मित्र है, ने भी बालक के कल्याण से संबंधित कोई तथ्य नहीं बताया है। उपेन्द्र कुमार पाण्डेय (अ०सा० 4), जो खनन अधिकारी है और अपीलार्थी का पड़ोसी था, ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि जब बालक रोता था, तब अपीलार्थी की पत्नी विनीता/उत्तरवादी उसका देखभाल नहीं करती थी। उसने यह भी कथन किया है कि उसे अपीलार्थी की पत्नी विनीता पसंद नहीं थी, क्योंकि वह उससे बातचीत नहीं करती थी। एक अन्य खनन निरीक्षक, महेश कुमार वर्मा (अ०सा० 5) के द्वारा भी ऐसा ही कथन किया गया है। उसने भी बालक के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। डॉ. प्रमोद गुप्ता (अ०सा० 7) द्वारा कथन किया गया है कि उत्तरवादी को

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"पैनिक डिसऑर्डर" अर्थात् बेचैनी, अनिद्रा एवं भूख न लगने (एनोरेक्सिया) की समस्या थी, किन्तु यह कोई गंभीर अथवा स्थायी रोग नहीं था।

12. उत्तरवादी द्वारा अपने पक्ष में साक्ष्य के रूप में अपनी माता श्रीमती लीला गजभिये (उ०सा०1) का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उसका कथन है कि अपीलार्थी उसके पुत्री/उत्तरवादी के साथ मारपीट करता था तथा उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। जैदास सोमकुंवर ने अपने शपथपत्र में कहा कि उत्तरवादी एक शिक्षित महिला है और वह अपना समय अध्ययन एवं अपने पुत्र की देखभाल में लगाती थी। उसका पुत्र विवेक पूर्ण रूप से स्वस्थ था तथा उसका सर्वांगीण विकास हो रहा था। विवेक एक अच्छा छात्र था और उसे सदैव 95 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होते थे। उसने यह भी कथन किया है कि उसने विवेक की प्रगति रिपोर्ट देखी है।

13. गिरीश कुमार गजभिये (उ०सा०4), जो उत्तरवादी का भाई है, ने कथन किया है कि उसकी बहन/उत्तरवादी और अपीलार्थी के बीच मधुर संबंध नहीं थे। अपीलार्थी हमेशा गाली-गलौज और मारपीट करता था, यहां तक कि न्यायालय परिसर में भी अपीलार्थी के द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार और

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मारपीट किया गया था। उसकी बहन ने वाणिज्य विषय में स्नातकोत्तर किया है तथा उसने एल.एल.बी. का पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किया है।

14. उपरोक्त साक्ष्यों के अवलोकन से हमें इस निष्कर्ष में पहुँचते हैं कि विद्वान न्यायाधीश द्वारा साक्ष्यों का सम्यक् परीक्षण एवं मूल्यांकन करते हुए यह सही निष्कर्ष निकाला गया है कि उत्तरवादी किसी भी प्रकार के मानसिक विकार से पीड़ित नहीं है। अपीलार्थी एवं उसके पारिवारिक सदस्यों का आचरण अप्राप्तवय बालक के विकास हेतु अनुकूल नहीं था, जिससे विवेक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था। यह भी पाया गया कि उत्तरवादी पूर्ण रूप से बालक के कल्याण के प्रति समर्पित एवं प्रतिबद्ध है। चिकित्सक की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी को कोई मानसिक विकार नहीं था, बल्कि केवल बेचैनी, अनिद्रा एवं भूख न लगने (एनोरेक्सिया) की समस्या थी, जिसे सामान्य दवा से ठीक किया जा सकता था, तथा ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उत्तरवादी का व्यवहार बालक के प्रति क्रूर था। इसके अतिरिक्त, न्यायालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन प्रदत्त भरण-पोषण राशि के भुगतान में अपीलार्थी तत्पर नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **श्रीमती मोहिनी बनाम वीरेंद्र कुमार**[1] के प्रकरण में यह अभिमत व्यक्त किया है कि बालक के संरक्षकता एवं अभिरक्षा के निर्धारण में सर्वप्रथम एवं सर्वोपरि विचारणीय तत्व बालक का कल्याण है।

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **श्रीमती सुरिंदर कौर संधू बनाम हरबक्स सिंह संधू एवं अन्य** [2] के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि –

> "9. हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अनुसार पिता को अप्राप्तवय पुत्र का नैसर्गिक संरक्षक घोषित किया गया है। तथापि, यह प्रावधान उस सर्वोपरि विचार से परे नहीं हो सकता कि कौन-सा पक्ष बालक के कल्याण हेतु अधिक उपयुक्त है। वर्तमान परिस्थितियों में, बालक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसे अपनी माता की अभिरक्षा में रहना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. उपर्युक्त कारणों से यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश न्यायोचित एवं उचित है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है।

---

[1] (1977) 3 एस०सी०सी० 513

[2] (1984) 3 एस०सी०सी० 698

18. परिणामस्वरूप, अपील असफल होती है एवं खारिज की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है। तथापि, अपीलार्थी को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह अपने पुत्र विवेक से भेंट कर सके, जैसा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 04.07.2008 में निर्दिष्ट किया गया है।

सही/-
सतीश के० अग्निहोत्री
न्यायाधीश

सही/-
आर०एल० झनवार
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा एवं कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Soumitra Kesharwani, Advocate